

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(18)एम.ई. / ग्रुप-1 / 85

जयपुर, दिनांक : 9/5/17

आदेश

निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों के अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पदनाम	मेडिकल कॉलेज	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	डॉ. भँवर सिंह मीणा	वरिष्ठ आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	मेडिकल कॉलेज जयपुर	31-3-2018
2.	डॉ. (श्रीमती) सुमन मेंहदीरत्ता	वरिष्ठ आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग	मेडिकल कॉलेज जयपुर	30-6-2018
3.	डॉ. भुवनेश किशोर सिंह	वरिष्ठ आचार्य, ई.एन.टी.	मेडिकल कॉलेज अजमेर	31-3-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन चिकित्सक शिक्षकों के विरुद्ध आज तक :-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश से,


(भगवत सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर।
3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर/अजमेर।
4. निदेशक/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर/अजमेर।
5. डॉ. भँवर सिंह मीणा, वरिष्ठ आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ.(श्रीमती) सुमन मेंहदीरत्ता, वरिष्ठ आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. डॉ. भुवनेश किशोर सिंह, वरिष्ठ आचार्य, ई.एन.टी., मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव